उत्तराखण्ड के विकास के लिए विशेष प्रावधान

4811. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड के आर्थिक पिछड़ेपन और इसके सीमावर्ती क्षेत्र होने की दृष्टि से इसके विकास के लिए पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष प्रावधान किए गए थे और उससे विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :

पांचवी योजना के आरम्भ से उत्तर प्रदेश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों सहित उत्तराखंड क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त करता रहा है। दूसरी, तीसरी और चौथी योजना अवधियों में भी मुख्यत: अपनी सामरिक महत्व की अवस्थिति के कारण इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए अलग से प्रगति का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को लद्दाख की भांति विशेष आदिवासी दर्जा दिया जाना

4813. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से सीमान्त पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लद्दाख की भांति विशेष आदिवासी दर्जा देने का है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इनके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) लद्दाख के लोगो को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 370 (1)(घ) के दूसरे परन्तुक के अधीन अपनी सहमति देने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश जो जम्मू और कश्मीर राज्य से अभी प्राप्त नहीं हुई है, से जुड़ा हुआ है ताकि अनुच्छेद 342 को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू किया जा सके।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों के साथ पहाड़ी सीमा क्षेत्रों के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत के महापंजीकार के साथ परामर्श करके तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मामले में संगत मानदण्डों के अनुसार विधिवत रूप से विचार किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में संशोधन केवल संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है।

गढ़वाल के विकास के लिए प्रधान मंत्री को ज्ञापन

4813. **हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **प्रधान मंत्री** को गढ़वाल यात्रा के दौरान कोटद्वार के कुछ प्रमुख